न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार , पदमपुर दिनांक 20.11.2012 धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956

अपील प्रकरण सं0 66/2012

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. जगनामसिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी अयालकी, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
2. नायब सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी टालीवाला जटटा, तहसील अरणीवाला जिला फाजिल्का (पंजाब)

अपीलांट

बनाम

1. अबतार सिंह पुत्र श्री जरनैलसिंह उर्फ जैलासिंह, जाति जटसिख निवासी 4 बीबी तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1. श्री आनन्द व्याय, अधिवक्ता, अपीलांट
2. श्री भजनलाल टाक, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस संख्या–1

आदेश **दिनांक : 10.10.2017**

हस्तगत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मृतक बलदेव सिंह पुत्र श्री कौर सिंह निवासी 4 बीबी तहसील पदमपुर द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयत उसके पक्ष में दिनांक 09.06.2009 को श्री ओमप्रकाश छाबडा नोटेरी द्वारा प्रमाणित करवाई गई बाद रिपोर्ट पटवारी एवं नोटेरी में वर्णित गवाह को तलब कर दिनांक 13.11.2012 को दैनिक हांसल अखबार में दिनांक 19.11.2012 तक आपत्तियां चाही गई एवं दिनांक 20.11.2012 को अपीलार्थीगण या उनके वारिसान को बिना तलब किये, सुने यह व्यथित आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी के दादा स्व. श्री कौर सिंह के कुल आठ संताने थी। वर्तमान में केवल सुखदेव सिंह जीवित है। अपीलांट के दादा कौर सिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी संतानों को बराबर–बराबर कृषि भूमि बंटवारा कर दे दी थी एवं इसी बंटवारा में अपीलार्थीगण के चाचा स्व. श्री बलदेव सिंह जो अविवाहित व बेऔलाद था एवं बचपन से ही अंधे थे, के नाम से चक 4 बीबी तहसील पदमपुर के मु.न. 1 में किला नम्बर 19 ता 25 सालम व मु.न. 2 में किला नम्बर 21/0.10, 22,23 सालम, 24/0.10, मु.न. 11 के किला नम्बर 6 ता 10 सालम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

व किला नम्बर 13/010, 14–15 सालम कुल तादादी रकबा 16.10 बीघा नहरी अर्थात 4.173 हैक्टर नहरी जमीन खातेदारी है को अपीलार्थीगण 5 हिस्सा पर काश्त करते रहे है एवं वर्तमान में भी 5वां हिस्सा पर काश्त कर रखी है। अप्रार्थी के चाला बलदेव की मृत्यु दिनांक 15.10.2012 को हुई और अपीलार्थीगण के चाचा ने कभी भी कोई वसीयत नही की, बल्कि उन्होने अपने जीवनकाल में कह रखा था कि मेरी सम्पति व कृषिभूमि की कोई वसीयत की आवश्यकता नही है उसे नियमानुसार सभी भाई–बहन आपस में बराबर–बराबर बांट लेना, परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थीगण की गैरमौजुदगी में एक फर्जी प्रमाणित वसीयत तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर उक्त आदेश पारित करवाया गया है क्योंकि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व न तो बलदेव सिंह के वारिसों को कोई नोटिस दिया गया व ना ही उनको सुना गया एव ंना ही कोई आपत्तियां प्राप्त की गई, बल्कि प्रमुख समाार पत्र में भी कोई सूचना नही दी गई। अखबार ''दैनिक हांसल समाचार पत्र'' में सूचना दी गई, जो न तो प्रमुख समाचार पत्र है व ना ही उनके वारिसों के निवास स्थान पर पहुंचता है एवं जो नोटिस आपत्ति का समय दिया वह भी केवल 7 दिवस का दिया गया , जो न तो पर्याप्त था एव ंना ही विधिसम्मत था।

अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 132 व नियमों की भी पालना नहीं की, अधिनियम अनुसार अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरण नहीं खोला जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र 13.11.2012 को 7 दिवसीय नोटिस अखबार में साया कर दिनांक 20.11.2012 को आदेश पारित किया गया है, जो अपने आप में संदेहस्पद एवं जल्दबाजी करना दर्शाता है। मृतक बलदेव सिंह अपीलार्थीगण की देखरेख में रहता था एवं अपीलार्थीगण द्वारा ही उनकी कृषिभूमि काश्त की जाती रही है यदि मृतक द्वारा कोई वसीयत लिखी भी होती तो कब्जा काश्त के बारे में भी वर्णन करता, परन्तु उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर बिना जांच प्रोबेट के अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.11.2012 द्वारा तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर , अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर वर्णित सम्पति का राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर पटवारी द्वारा नामान्तरण किया गया है, को निरस्त किया जावें एवं वारिसान के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का आदेश तहसीलदार पदमपुर को प्रदान करें।

दोनो पक्षो के सुयोग्य अधिभाषक गण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि मृतक बलदेव सिंह पुत्र कौर सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 09.06.2009 को नोटेरी प्रमाणित करवाई हुई

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

है जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 20.11.2012 को अप्रार्थी के पक्ष में नामान्तरण खोला गया है। अपीलार्थीगण के चाचा स्व. श्री बलदेव सिंह जो अविवाहित व बेऔलाद था एवं बचपन से ही अंधे थे, के नाम से चक 4 बीबी तहसील पदमपुर के मु.न. 1 में किला नम्बर 19 ता 25 सालम व मु.न. 2 में किला नम्बर 21/0.10, 22,23 सालम, 24/0.10, मु.न. 11 के किला नम्बर 6 ता 0 सालम व किला नम्बर 13/010, 14–15 सालम कुल तादादी रकबा 16.10 बीघा नहरी अर्थात 4.173 हैक्टर नहरी जमीन खातेदारी है। जिसमें अपीलार्थीगण पांचवा हिस्सा काश्त कर रहे थे। मृतक बलदेव सिंह द्वारा कोई पंजीकृत वसीयत नही करवाई गई थी ना ही उनकी इच्छा वसीयत करने की थी । उनकी इच्छानुसार उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी कृषि भूमि को सभी वारिसान आपस में बांटने हेतु मौखिक कथन किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 132 व नियमों की पालना नहीं की। अधिनियम अनुसार अन रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरण नहीं खोला जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय को अन रजिस्टर्ड वसीयत पर किसी प्रकार की कोई फाईडिंग देने का अधिकार नहीं है न ही वसीयत को वैध अथवा अवैध करार देने का अधिकार है। यदि अन रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरण खोला जाता है तो राजस्व न्यायलय द्वारा उक्त अन रजिस्टर्ड वसीयत को सीधे सीधे तौर पर स्वीकार करने व उसे वैध मान्यता देना है। वसीयत को वैध या अवैध देने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है। वसीयत को प्रोबेट कराने के पश्चात ही सिविल न्यायालय के निर्णय के पश्चात उक्त वसीयत के सही व वैध होने के पश्चात ही राजस्व न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरण खोला जा सकता है। यदि उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरण प्राप्त करना है तो अप्रार्थीगण को सिविल न्यायालय के समक्ष चाराजोही करने का पूर्ण अधिकार है एवं प्रोबेट प्राप्त कर वसीयत का विधिसम्मत इस्तेमाल किया जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व निर्णय दिनांक 20.11.2012 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरण खोला जावें। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने इस सन्दर्भ में न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की अपील/एल.आर./7295/06/बून्दी अनवानी बृजसुन्दर वगैरा बनाम कमलेश वगैरा के निर्णय दिनांक 06.01.2009 की प्रति पेश की है।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि तहसीलदार पदमपुर ने अपने आदेश दिनांक 20.11.2012 अनवान मृतक बलदेव सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी 4 बीबी तहसील पदमपुर बहक अवतार सिंह पुत्र जरनैल सिंह उर्फ जैला सिंह निवासी 4 बीबी पदमपुर के नाम वसीयत के आधार पर नामान्तरण 408 दिनांक 20.11.2012 खोला गया है वह सही है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

वसीयत वैध है या अवैध इसके लिए अपीलार्थीगण सिविल न्यायलय के समक्ष चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र है। तहसीलदार पदमपुर ने वसीयत के आधार पर नामान्तरण सख्या 408 दिनांक 20.11.2012 पूर्ण प्रकिया अपनाई जाकर खोला गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार (भू.अ.) पदमपुर ने नोटेरी से प्रमाणित वसीयत के आधार पर जो नामान्तरण सख्या 408 दिनांक 20.11.2012 खोला गया है वह विधिवत प्रकिया अनुसार वसीयत ज्ञापन जो हांसल समाचार पत्र श्रीगंगानगर के नाम पत्र कमांक 4462 दिनांक 06.11.2012 को जारी किया गया जिसका प्रकाशन हांसल समाचार पत्र दिनांक 13.11.2012 के पृष्ठ 02 पर हुआ है एवं नोटिस जारी किये जाकर **दो गवाहो श्री नक्षत्रसिह पुत्र रजवन्त सिंह एवं सरोवर सिंह पुत्र शिव सिंह के ब्यान लिये गये जिन्होने अपने हल्फन बयान के पैरा संख्या 3 में स्वीकार किया है कि मृतक बलदेव सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 09.06.2009 को नोटेरी पब्लिक श्रीगंगानगर से प्रमाणित करवाई थी, जिसमें हमारे द्वारा साक्ष्य के रूप में गवाही दी गई थी।** एवं हल्का पटवारी से फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.2012 को तैयार करवाई जाकर नामान्तरण किया गया है जो विधिसम्मत है। वसीयत कानूनी रूप से पंजीबद्व होना अनिवार्य नही है **(वसीयत की रजिस्ट्री करवाना रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 18(ड.) के अनुसार ऐच्छिक है, आवश्यक नही है)** । वसीयत में सम्पति खातेदारी अभिधृति है जिसके सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय ही सक्षम है। इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई विधिक कार्यवाही में कोई अवैधानिकता दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। वसीयत वैध है या अवैध इसके लिए अपीलार्थीगण सिविल न्यायलय के समक्ष चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय रिकार्ड तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाया जावें। तदनुसार मामला निस्तारित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 10.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

10/10/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर